

असाधार्गा EXTRAORDINARY

भाग II—सण्ड 3—उप-लण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकरण से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं∙ 377] No.,377] नई दिस्ती, मुधनार, जुलाई 15, 1987/आवास 24, 1909 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 1987/ASADHA 24, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा की सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 15 ज्लाई, 1987

सा.का.िन. 659(ग्र).—महापत्तन न्यास ग्रिधिनियम, 1963 (1963 का 38वां) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार कांडला पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए तथा इस ग्रिधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए कांडला पत्तन कर्मचारी (गृह निर्माण के लिए ग्रिप्रिम की मंजूरी) संशोधन विनियम, 1987 को ग्रनुमोदन प्रदान करती है।

2 उक्त विनियम इस अधिमृचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाणन की तिथि में प्रभावी होंगे।

> [फा सं. पी डब्ल्य/पी ई श्रार-39/83] पी एम अक्राह्म, श्रपर सचित्र

श्रन्युची

कांडला पत्तन न्यास

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांडला पत्तन न्यासी मंडल निम्नलिखित विनियम बनाता है, प्रथात ——

- 1. यह विनियम कांडला पत्तन कर्मचारी (गृह निर्माण के लिए श्रिश्रम की मंजूरी) संशोधन विनियम, 1987 कहलाएंगे।
 - 2 कांडला पत्तन कर्मचारी (गृह निर्माण के लिए प्रिप्रिम की मंजूरी) विनियम, 1987 में :---
 - (i) विनियम 4 की धारा "ख" के नीचे निम्नलिखित क्लॉज जोड़ी जाएगी:—
 "क" नथा "ख" वर्ग का वह तटवर्ती कर्मचारी, जिसने लगातार कम में कम 10 वर्ष का मैवाकाल पूरा कर लिया है बगरी कि स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि जिस मकान के निर्माण के लिए प्रग्निम की मंजूरी दी गई है, कम से कम उसके बनने और/ग्रथवा बोई की गिरवी रखें जाने तक वह व्यक्ति मंडल की सेवा में सेवारत रहेगा।
 - (ii) विद्यमान क्लॉज (ग) को पर्नक्रमॉकित कर क्लॉज "घ" किया जाएगा।
- (2) विनियम (11) में, उप-विनियम (1) की वलांज 'ख'' को निम्न प्रकार प्रस्थिापित किया जाएगा।

अग्निम राणि की बसूली, गृह निर्माण पूरा होने के अगले महीने मे, अथवा कर्मचारी की अग्निम की प्रथम किण्न दिए जाने के बाद 24वें महीने से, इनमें से जो भी पहले हो, तब से प्रारंभ होगी। बने बनाए तैयार-निर्मित गृह/फ्लैट की खरीद हेनु अग्निम राणि के मामले में, अग्निम राणि लिए जाने के बाद अगले महीने के बेतन से ही अग्निम की बसूली प्रारंभ हो जाएगी।

सचिव

कांडला पत्तन न्**यास**

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 15th July, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 659(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 read with sub-section (1) of section 132, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Employees (Grant of Advances for Building of Houses) Amendment Regulations, 1987 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PW|PER-39|93]

P. M. ABRAHAM, Addl. Secy.

SCHEDULE

KANDLA PORT TRUST

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963, the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby make the following regulations viz.

- 1. These regulations may be called Kandla Port Employees (Grant of Advance for Building Houses) Amendment Regulations, 1987.
- 2. In the Kandla Port Employees (Grant of Advances for Building of Houses) Regulations, 1978.
 - (1) In Regulation 4, the following clause shall be added below clause (b).
 - "(c) 'A' and 'B' category shore worker who has rendered at least 10 years' continuous service provided that the sanctioning authority is satisfied that he is likely to continue in the service of the Board at least till the house for which the advance is sanctioned is built and/or mortgaged to the Board".

- .1
- (ii) the existing clause (c) shall be renumbered as clause (d).
- (2) In regulation 11, clause (b) of sub-regulation (1) shall be substituted as follows:—
 - "(b) The recovery of advance shall commence from the month following the completion of construction of a house or from the 24th month after the month in which the first instalment of advance is paid to the employee, whichever is earlier. In the case of advance taken for purchasing a ready-built house [flat the recovery shall commence from the pay of the month following that in which the advance is drawn".

Secretary
Kandla Port Trus